

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**


विभिन्न बैठकों एवं अन्य माध्यमों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पोर्टल पर उपलब्ध आर0सी0 मॉड्यूल में वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति अद्यतन नहीं है अर्थात् पोर्टल पर माननीय न्यायालयों/प्रशासनिक कारणों से स्थगित, समाप्त तथा 11 एवं 22 सूत्रीय अपलेखन आदि से आच्छादित धनराशि/प्रकरणों को अंकन नहीं किया गया है। इस कारण शुद्ध वसूल की जा सकने वाली धनराशि भी स्पष्ट नहीं है।

विभागीय पोर्टल पर अवरोही कम में वसूली प्रमाण पत्र (RC) प्रत्येक अधिकारीवार उपलब्ध करायी जा रही है। पत्रावलियों का सघन परीक्षण करके आर0सी0 मॉड्यूल में अद्यतन आर0सी0 की स्थिति अंकित कर दें। कोई आर0सी0 अंकित होने से छूट गयी हो तो भी वसूली प्रमाण पत्रों व वसूली की अद्यतन स्थिति का आर0सी0 मॉड्यूल पर अंकन करें, जिससे शुद्ध वसूली योग्य बकाया धनराशि आर0सी0 मॉड्यूल में दिख सके।

पोर्टल पर कार्य की व्यवस्था का Processflow चार्ट इस पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार


(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त। — 03(4).
प्रतिलिपि-

1. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को इस अपेक्षा से कि अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित समस्त अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारियों को जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से।
3. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को नोटिस बोर्ड पर समस्त संलग्नकों सहित प्रदर्शन हेतु।


(देव मणि शर्मा)

ज्वाइंट कमिश्नर,(संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ